(86)

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

III/पुर्नस्था0/सतना/ 2-21/2017/2270

चन्द्रमणि तिवारी ----आवेदक

जिला—सतना

बनाम

शासन म0प्र0 ----अनावेदक

आवेदक अभिभाषक श्री जनार्दन त्रिपाठी एड. द्वारा पेश 19.7.17

19.7.17

आवेदन पत्र बावत आर/454/..III/15.....को दिनांक 17.05.17 को अदम पैरवी मे खारिज किया गया , जिसे पुर्नस्थापित किए जाने बावत।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.सं..

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः—

1. यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.17 को नियत था, जिस प्रकरण को श्रीमान द्वारा अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है।
2. यह कि प्रकरण मे आवेदक जानबूझकर अनुपस्थित नही हुआ बल्कि आवेदक ने अपने प्रकरण की पैरवी हेतु श्री जनार्दन त्रिपाठी को अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, दिनांक 17,05.17 को अधिवक्ता श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी किसी अन्य प्रकरण की पैरवी हेतु शहडोल चले गए थे, जिस कारण से आवेदक प्रकरण मे जरिए अधिवक्ता प्रकरण की पेशी मे उपस्थित नही हो सका।
3. यह कि अधिवक्ता जनार्दन त्रिपाठी द्वारा आवेदक को कहा गया था कि आपको न्यायालय आने जरूरत नही है वह प्रकरण की पैरवी कर लेंगें प्रार्थी सेना मे नौकरी करता है , जिस कारण से वह हमेशा प्रकरण की पैरवी हेतु उपस्थित नही हो पाता है, अधिवक्ता की भूल की सजा पक्षकार को नही मिलना चाहिए यह न्याय की प्रबल मंशा है, जिस कारण से आवेदक का उपरोक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई मे लिया जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना न्यायोचित है।

(2)

III / पुनवि० / सतना / भू.रा. / 2017 / 2270

प्रस्तुतकार

(124)

1- आवेदक की ओर से श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी द्वारा यह आवेदन संहिता की धारा 35(3) के तहत मूल प्रकरण क्रमांक R-454-तीन/15 अद्यतन पेशी आदेश दिनांक 17-5-17 को पुनर्स्थापन बाबत आवेदन पेश किया गया है

M

[पीछे देखिये

चन्द्रभान त्रिपाठी / शासन (मा०प्र०) रिकॉर्ड

M. 111 / पुन० / ललित / 17 / 2270

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश (3)	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	2. आवेदक अधिभाषक को सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। न्यायहित इस प्रकरण क्रमांक R 454-तीन/15 को पुनः नम्बर में लिया जाता है। द.उतार प्रकरण चालू किया जावे। 3. प्रकरण पत्री से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	

शाक्षमुद्रा—766—फार्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.